2019/00025

निर्णित दि० 30.09.19

राजस्थान सरकार

# न्यायालय तहसीलदार (राजस्व) लूनकरनसर, जिला बीकानेर

सरकार स्टेट बनाम श्री ओमप्रकाश पुत्र प्रभुराम जाति जाट सा० कुम्भाणा बास लूणकरनसर

किस्म मुकदमा — ~~आर.सी.र. 1954 की धारा 22~~
एल. आर. एक्ट 1956 की धारा 91

मुकदमा नम्बर ............ वर्ष 05/2019

| आदेश दिनांक | कार्यवाही विवरण | आदेश की तालीम |
| --- | --- | --- |
| 18/9/19 | पटवारी हल्का खोखराना की रिपोर्ट पर पत्रावली मुरतीब की गई। मुताबिक रिपोर्ट अप्रार्थी ने ग्राम/चक बीरमाना के खसरा नं./मुं.नं.मै. 266 के पूर्व-पश्चिम 64 व उत्तर दक्षिण 238 तादादी 1.52 है० बीघा राजकीय भूमि पर सम्वत 2076 में नाजायज कब्जा कर काश्त कर ली। अप्रार्थी को धारा 22/91 के तहत नोटिस जारी किया जावे एवं भू-अभिलेख निरीक्षक को फसल कुर्क कर (नीलाम) हेतु लिखा जावे। पत्रावली आईन्दा दिनांक 26/9/2019 को पेश हो। | |
| 26/9/19 | पत्रावली पेश हुई। प्रकरण में तामील नहीं हो पाई अतः फरीकान को पाबंद किया जाकर तामील हेतु पत्रावली आइन्दा दिनांक 30/9/19 को पेश हो। | |
| 30/9/19 | पत्रावली पेश हुई। [illegible] | |

तहसीलदार (राजस्व)
लूनकरनसर

Scanned by CamScanner

— 2 —

# न्यायालय तहसीलदार (राजस्व), लूणकरनसर

## निर्णय

मिसल न. :– 05 /2019 दिनांक :– 30.09.19

पत्रावली पेश हुई संक्षेप में विवरण इस प्रकार है कि पटवारी हल्का खोखराणा ने रिपोर्ट (पी – 14) प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि फसल खरीफ सम्वत् 2076 में गैर सायल ओमप्रकाश पुत्र श्री प्रभुराम जाति जाट साकिन कुम्भाणाबास ने ग्राम खीरमाना के ख.न. 266 रकबा 1.52 है. में नाजायज काश्त कर अतिक्रमण किया है। सम्बन्धित अप्रार्थी को राज. भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत नोटिस प्रकरण दर्ज कर जारी किया गया जो कि बाद तामील शामिल मिसल किया गया। संबंधित गैर सायल उपस्थित। इनके द्वारा प्रस्तुत किये गए जवाब का अवलोकन किया गया। जो कि संतोषजनक नहीं होने के कारण से सम्बन्धित गैर सायल ओमप्रकाश पुत्र श्री प्रभुराम जाति जाट साकिन कुम्भाणाबास को ग्राम खीरमाना के ख.न. 266 रकबा 1.52 है. में अतिचार करने पर राज. भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के प्रावधानों के तहत अतिक्रमी घोषित किया जाता है, तथा भू. राजस्व दर 1.00 का 50 गुणा रुपये 77=00 शास्ति से दण्डित किया जाता है तथा मौके से बेदखली व कुर्कशुदा फसल को नीलाम करने के आदेश दिए जाते हैं।

फसल नीलामी व बेदखली बावत संबंधित गिरदावर हल्का को लिखा जावे तथा तावान वसूली बावत पटवारी हल्का को तथा मांग कायमी बाबत् टी.आर.ए शाखा को लिखा जावे।

निर्णय आज दिनांक 30-09-19 को खुली अदालत में सुनाया गया। पत्रावली निर्णित शुमार होकर दफ्तर दाखिल होवें तथा रजिस्टर नम्बर से कम हो।

तहसीलदार (राजस्व)
तहसीलदार (राजस्व)
लूणकरनसर

Scanned by CamScanner